राजस्थान सरकार
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

कमांकः प. 3 (2) वित्त/साविलेनि/2020 जयपुर, दिनांक : 17/07/2020

परिपत्र

विषय : कोविड–19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के मध्यनजर निर्माण विभागों के ठेकेदारों के पंजीयन का नवीनीकरण/ पुनरावलोकन की समयावधि में वृद्धि बाबत् जारी परिपत्र दिनांक 29.06.2020 की निरंतरता में स्पष्टीकरण।

कोविड–19 महामारी के कारण सम्पूर्ण देश में लागू लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण निर्माण विभागों में पंजीकृत कुछ ठेकेदार जिन्हें पंजीयन के नवीनीकरण/पुनरावलोकन हेतु आवेदन करना था, वे समय पर संबंधित कार्यालय में आवेदन नहीं कर सके हैं।

समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.06.2020 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोविड–19 महामारी के कारण लागू किये गये लॉकडाउन के कारण यदि कोई ठेकेदार अपने पंजीयन के नवीनीकरण/पुनरावलोकन हेतु वांछित आवेदन समय पर नहीं कर पाये हों तो उन्हें दिनांक 31.07.2020 तक आवेदन करने की छूट प्रदान की गयी है।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि PWF&AR (Part II) के Appendix XVI के बिंदु सं.ख्या I.5 में वर्णित फीस में किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की गयी है। इन नियमों के अधीन किसी भी कारण से अंतरिम (प्रोविजनल) सूचीबद्धकरण का नवीनीकरण या अन्य किसी भी कारण से चाहे गये नवीनीकरण पर नियमानुसार फीस देय होगी।

(टी. रविकान्त)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिनि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रधान महालेखाकार *(A&E/Audit)* राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/इंदिरा गांधी नहर परियोजना/सिंचित क्षेत्र विकास विभाग/वन विभाग/भू जल विभाग/जल संसाधन विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा/निरीक्षण/स्थानीय लेखा अंकेक्षण विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
7. समस्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/आरडब्ल्यूएसएसएमबी/भू जल विभाग/इंदिरा गांधी नहर परियोजना/ सिंचित क्षेत्र विकास विभाग।
8. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, आरडब्ल्यूएसएसएमबी/सार्वजनिक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/भू जल विभाग/इंदिरा गांधी नहर परियोजना/सिंचित क्षेत्र विकास/वन विभाग।
9. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, राजस्थान।
10. वित्त विभाग के समस्त अनुभाग। 11. प्रशासनिक सुधार विभाग ।
12. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग कृपया इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करावें।
13. रक्षित पत्रावली।

17/7/2020
(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(PWF&AR 76/2020)

GFR Rules-new